प्रधान मंत्री जी की कजाकिस्तान यात्रा के दौरान संपन्न द्विपक्षीय करार
16 अप्रैल, 2011

क्र.सं.	करार/समझौता ज्ञापन का नाम	दस्तावेज का कार्यक्षेत्र
1.	सत्पायेव अन्वेषण ब्लाक पर ओएनजीसी विदेश लिमिटेड तथा राष्ट्रीय कंपनी 'काज्मूनाइगास' के बीच संपन्न तीन करारों का पैकेज: (1) अंश आवंटन भागीदारी करार; (2) वहन करार; और (3) संयुक्त प्रचालन करार।	इन तीनों करारों के फलस्वरूप 'काज्मूनाइगास' (केएमजी) से ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) को सत्पायेव अन्वेषण ब्लाक में भागीदारी हितों का अंतरण प्रभावी होगा। - अंश आवंटन भागीदारी करार केएमजी से ओवीएल को 25 प्रतिशत हिस्सेदारी के अंतरण तथा इस अंतरण को शासित करने वाली शर्तों को परिभाषित करता है। - वहन करार वाणिज्यिक खोज तथा खोज किए गए क्षेत्रों के विकास में ओवीएल के 'वहन' तथा केएमजी द्वारा वहन राशि के पुनर्भुगतान से जुड़ी प्रमुख विशेषताओं को परिभाषित करता है। - संयुक्त प्रचालन करार पक्षकारों तथा प्रचालन के तौर तरीकों के बीच संबंधों को परिभाषित करता है। कैस्पियन सागर के कजाकिस्तान सेक्टर में अवस्थित सत्पायेव अन्वेषण ब्लाक का क्षेत्रफल 1482 वर्ग किमी. है और यहां जल की गहराई 6-8 मीटर है। यह उत्तरी कैस्पियन सागर के उच्च संभावित क्षेत्र में अवस्थित है और प्रमुख खोजों के काफी नजदीक है। इस ब्लाक में दो संभावित संरचनाएं हैं जिनका नाम सत्पायेव तथा सत्पायेव भोस्तोचनी (पूर्व) है और यहां 256 एमएमटी हाइड्रोकार्बन संसाधन विद्यमान होने का अनुमान है। इस कार्य व्यापार के जरिए ओवीएल कजाकिस्तान के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। हालांकि ओवीएल 1995 से ही कजाकिस्तान में अपने पैर जमाने का प्रयास करता रहा है। परन्तु इन प्रयासों को बल तब मिला जब हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए ओवीएल ने फरवरी, 2005 में केएमजी के साथ एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया। ओवीएल और केएमजी के बीच करार शीर्षों पर वर्ष 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे, जबकि कजाकिस्तान के तेल एवं गैस मंत्रालय तथा केएमजी के बीच अन्वेषण संविदा वर्ष 2010 में संपन्न की गई। अब निश्चित करारों पर

		हस्ताक्षर किए जाने के बाद केएमजी इस परियोजना में एक रणनीतिक विदेशी भागीदारी के रूप में ओवीएल को सत्पायेव ब्लाक में 25 प्रतिशत सहभागिता हितों का आवंटन करेगा।
2.	भारत गणराज्य की सरकार तथा कजाकिस्तान गणराज्य की सरकार के बीच परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करने में सहयोग पर करार	इस करार में दोनों पक्षों के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग की कानूनी रूपरेखा परिकल्पित की गई है जिसमें ईंधन आपूर्ति, परमाणु दवा, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए समस्थानिकों सहित विकिरण प्रौद्योगिकियों का उपयोग, निएक्टर सुरक्षा तंत्र, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान सूचना का आदान-प्रदान, यूरेनियम का संयुक्त अन्वेषण एवं खनन, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की डिजाइन, निर्माण एवं प्रचालन इत्यादि शामिल हैं।
3.	वर्ष 2011-2014 की अवधि के लिए भारत गणराज्य तथा कजाकिस्तान गणराज्य के बीच सामरिक भागीदारी को सुदृढ़ बनाने हेतु संयुक्त कार्ययोजना (रोडमैप)	इस रोडमैप में अंतर्सरकारी करारों के कार्यान्वयन हेतु 2011-14 अवधि के दौरान दोनों पक्षों द्वारा चलाई जाने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संयुक्त कार्ययोजना का उल्लेख किया गया। इस रोडमैप में हाइड्रोकार्बन, असैनिक परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर सुरक्षा; उच्च प्रौद्योगिकी एवं नवाचार प्रौद्योगिकी, भेषज, स्वास्थ्य, कृषि एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे विविध क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा दिया गया है।
4.	भारत के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की इंडियन कंप्यूटर इमर्जेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) तथा कजाकिस्तान गणराज्य के कजाकिस्तान कंप्यूटर इमर्जेंसी रिस्पांस टीम (केजेड-सीईआरटी) के बीच समझौता ज्ञापन	इस समझौता ज्ञापन में सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने की परिकल्पना की गई है और इसमें साइबर सुरक्षा घटनाओं, स्पैम तथा अन्य साइबर हमलों पर सूचना के आदान-प्रदान, प्रचलित साइबर सुरक्षा नीतियों पर सूचना का आदान-प्रदान तथा मानव संसाधनों का आदान-प्रदान भी शामिल है।
5.	भारत गणराज्य तथा कजाकिस्तान गणराज्य के बीच सिविल मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता से संबद्ध संधि	इस संधि में दोनों देशों के कानूनों के अनुरूप सिविल मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता हेतु विभिन्न उपायों की परिकल्पना की गई है। इन उपायों में सम्मनों तथा अन्य न्यायिक दस्तावेजों अथवा प्रक्रियाओं की तामील, पत्रों अथवा अनुरोधों अथवा कमीशनों के जरिए साक्ष्य लेना, न्यायालय के निर्णयों की मान्यता एवं कार्यान्वयन तथा पंचाटों के निर्णयों में सहयोग करने की परिकल्पना की गई है।
6.	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में भारत गणराज्य के कृषि	इस दस्तावेज में कृषि अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं कृषि उत्पादन इत्यादि जैसे क्षेत्रों में दोनों मंत्रालयों के बीच सहयोग की परिकल्पना की

	मंत्रालय और कजाकिस्तान गणराज्य के कृषि मंत्रालय के बीच करार	गई है। इसमें कृषि विज्ञान, खाद्य प्रसंस्करण, फसल उत्पादन, पौध संरक्षण एवं कृषि व्यापार जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग परिकल्पित है।
7.	भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय और कजाकिस्तान गणराज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग पर करार	इस करार में स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवाओं एवं फार्मेसी क्षेत्रों में सहयोग की परिकल्पना की गई है। इसके तहत लोक स्वास्थ्य संगठनों तथा वैज्ञानिक अनुसंधान तथा चिकित्सा संस्थाओं के बीच सीधा सहयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसमें संक्रामक बीमारियों के बारे में सूचना और आंकड़ों का आदान-प्रदान करना भी शामिल है। इसमें संयुक्त वैज्ञानिक अनुसंधान, विशेषज्ञों की यात्राओं तथा स्वास्थ्य सेवा और दवा के क्षेत्र में सूचनाओं का आदान-प्रदान किए जाने की भी परिकल्पना की गई है।

अस्ताना (कजाकिस्तान)
16 अप्रैल, 2011